

# "महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ"

## बैठक सम्पन्धी सूचना


आज दिनांक 05/08/2023 को समय 2.30 बजे महाविद्यालय के सभागृह में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की बैठक आयुक्त की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं हस्त प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

### संयोजक

*Chand*  
**प्राचार्य**  
शासकीय महाविद्यालय  
बिला-बस्तर (उ.प्र.)

- 1. आकांक्षा तिवारी
- 2. चन्द्रिका दास
- 3. नारायण साहू
- 4. संतोष साहू
- 5. आशीष मिश्रा

~~Anurag~~  
~~Chand~~  
~~Chand~~  
~~Chand~~  
Anurag





## "द्वैत के कार्य" "

1. इसकी सहयोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकृष्ट में हाता को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इसा प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जावे। इसके लिए निम्नलिखित हाताओं को मनोनित किया गया-

- 1) युगीत गैस (M.Sc W sem Chemistry)
  - 2) प्रयोग विभाग (M.Sc W sem Chemistry)
  - 3) प्राध्यापक B.Sc - 1<sup>st</sup> year
  - 4) प्रेशीय मीनी B.A 1<sup>st</sup> year
  - 5) प्रबुलक B.A 3<sup>rd</sup> year
2. महिला सशक्तिकरण प्रकृष्ट अपने अन्य कर्मियों के साथ - साथ महिला यौन उत्पीडन निरोधक समिति के रूप में भी कार्य करेगी।

3. महिला सशक्तिकरण प्रकृष्ट ने गैस विचार विमर्श कर अपने निम्नलिखित उद्देश्यों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

### उद्देश्य :-

1) समानता और ओपभाव और लैंगिक संवेदनशील अंशकरी को बढ़ावा देने के लिए उचित वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करना।

2) महिला सशक्तिकरण प्रकृष्ट को अधिकारी / कर्मचारी विचारियाँ प्रतिनिधियों एवं आवेदियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं यौन उत्पीडन मुक्त बनाना।



3) महिलाओं के यौन उत्पीडन से मुक्त कार्य एवं अध्ययन का वातावरण स्थापित करने के लिए उपायों का संवर्धन एवं सुविधाजनक बनाना।

4) मराविद्यालय परिसर में महिलाओं के उत्पीडन की शोकथाम, निरोध और शिकायत निवारण।

5) नियमों और विनियमों को लैंगिक रूप से व्यापक बनाने के लिए सिफारिशें करना।

6) मराविद्यालय की यौन उत्पीडन निरोधक नीति का विशेषकर विद्यार्थीका, कार्यक्रम, शिक्षा निर्देश अथवा अन्य उचित दस्तावेजों के माध्यम से व्यापक प्रचार - प्रसार करना और इनके अनुमोदन, वेब साइट, कलात्मक और आवासीय क्षेत्रों में प्रदर्शित करना।

7) कार्यशाला, संगोष्ठियों, पीरियड, क्रमों संचायक कार्यक्रम वाद - विवाद निबन्ध प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं यौन उत्पीडन निरोधक उपायों के संवर्धन जागरूकता प्रामर्श एवं शिक्षित करने का निरन्तर प्रयास करना - न्यायिक, वैधानिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशेषज्ञ और सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

8) महिला सशक्तिकरण प्रकृष्ट मराविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मुलभूत सिद्धान्तों के गैस उल्लंघनों का रोक-संभाल ले सकती है और परेशा उचित तौर उच्च गरीब से प्रकृष्ट इसके विकट कार्यवाही कर सकती है।



\* अंगीत द्वारा दिये गये सुझाव :-

- 1) फ्लैकस या वीडि कि माध्यम से महिला के अधिकार संबंधी कानून कि जानकारी महाविद्यालय में दि पाए।
- 2) महाविद्यालय में महिला हेल्थ क्लब न. पारी किया पाए।
- 3) अंगभ्य - अंगभ्य पर महिला सशक्तिकरण एवं प्यारकरता सम्बन्धी वकैशाप का आयोजन किया जाना चाहिए।
- 4) महाविद्यालय के अंगभ्य कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्राया की ओरिबारी सुनिश्चित कीगिर।
- 5) महाविद्यालय द्वारा आयोजित फ्लैकस सम्मलेर का नीर-व करने क खिर छात्राया को प्रोत्साहित करना।
- 6) क्लासों के अघिकारे से संबंधित विषीकन सम्मीरिमा के में महिला अधिकारी तथा कर्मचारी को प्रकार सापा पाए।



महिला उत्पीडन र्सीर्बेली सम्मलेर 14

सम्मलेर किआ अंगभ्य है कि अंगभ्य 2013 में महिला उत्पीडन र्सीर्बेली सम्मलेर महाविद्यालय परिसर में फ्लैकस नहीं हुए। किनी ने भी विकायुग दर्जा नहीं करडि।

**प्रस्तावार्थ**  
शाकरीब महाविद्यालय अंगभ्यरी  
विभा - अरवर (कलंग)

- अभिगिन के अरररर अंगभ्य
1. सुकुसी - र्सीर्बेली द्वारा - र्सीर्बेली
  2. श्रीकाली - आर्कशिप लिबरी - अंगभ्यरी
  3. " प्रियंका - मिश्रा - अंगभ्यरी
  4. " रश्मि साहि - अंगभ्यरी
  5. " गानेश्वरी साहि - अंगभ्यरी

**अंगभ्यरी**  
अंगभ्यरी



" माहिता सशक्तिकरण "

वेक सभन्ही सूचना

आज दिनांक 05/08/2022 को समय 3.00 बजे महाविद्यालय के  
समाकलन में महिला सशक्तिकरण प्रकल्प की वेक आयोजन  
की जाई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं छात्रा व प्राध्यापिका  
उपरिष्ठत रहे।

① श्रीमती- आकांक्षा निवादी - प्राध्यापिका  
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी  
जिला-बस्तर (Bastar)

② श्रीमती- नागेरश्री शर्मा

③ सुश्री- रंजिता दास

④ रंजिता शर्मा

⑤ आशीषा कुमारी

*[Handwritten Signature]*





"शैल के कायवत"

1. सभी सदस्यों द्वारा निर्भर लिया गया कि क्या प्रकीर्ण में इलाहाबादी को शक्ति प्रदानित करने के लिए कानून प्रतिनिधियों का मनोनिर्णय किया जाए। जिसके लिए विनोदोत्पीत इलाकों को मनोनीत किया गया -

1. भारत-समा (19-11-1952)

2. बाकल गार्ड (18-11-1952)

3. सुरास

4. पिपरा दीपन (22-11-1952)

2. महिला संरक्षितकरण प्रकीर्ण अपने अन्य कर्मियों के साथ - साथ यौन कपीडन निरोधक सामग्री के रूप में भी कार्य करेगी।

3. महिला संरक्षितकरण प्रकीर्ण ने जंगल विचार विमोक्षित अपने निम्नलिखित उद्देश्यों को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया।

उद्देश्य :-

1. महिला संरक्षितकरण का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनके आत्मनिर्वास का संयोजन करना है।  
महिला संरक्षितकरण कक्षा के विचार के लिए महत्वपूर्ण है।

2. भारत में महिला संरक्षितकरण के आशय प्राथमिक रूप से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार लाना था। हमारे भी उद्देश्य हैं, कि महिलाओं की स्थानीय स्थिति में सुधार हो और वे स्वायत्तमान बनें।



3. महिलाओं को मुख्य के बावजूद वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की संरक्षित प्रत्यक्षी में निर्णय लेने का अधिकार दिलवाना।

4. महिलाओं के यौन कपीडन से मुक्त कार्य एवं श्रमस्थान का वातावरण स्थापित करने के लिए कर्मियों का संवर्धन एवं सुविधाजनक बनाना।


5. महिला संरक्षितकरण हेतु यौनिक या आध्यात्मिक शारीरिक या मानसिक क्षमता रखने पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाना।

6. भारत में दुनिया के 40 परसेंट बाल विवाह होते हैं, 41.7% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में ही है।  
जाना है, निजामत और अशिक्षा का ये सबसे बड़ा कारण है, इस निजामत व अशिक्षा को गड़ से भिखाना।

7. न. मातापितालय परिसर पर महिलाओं के कपीडन से रोकथाम, निषेध और उनके शोचन निवारण।

\* सभी को द्वारा दिये गये सुझाव

1. मातापितालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम समारोह का नेतृत्व करने के लिए कक्षाओं को प्रोत्साहित करना।



2. महिलाओं के लिये सामुहिक सेवा की व्यवस्था करना।  
जहाँ वे एक-दूसरे के रूप में आपस में जुड़ सकें, अन्य पर वे निर्भर न हों।  
महिलाओं के





एक झुठ के रूप में मजबूत समुह का रूप ले सकें।  
महाविद्यालय में गानों की व्याख्या करायी गयी।  
महाविद्यालय में महिला हेल्थलाइन नमबर जारी किया  
गया।

- महाविद्यालय में महिलाओं के सुरक्षा की हान में रूढ़ि दृष्टि देने कागमरता के लिए कर्षण निर्माण के लक्ष्य में नुडी-नरते का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।



*[Signature]*

**प्राचार्य**  
शासकीय महाविद्यालय भाजपुरी  
बिला-बरत (B.N.O.)

प्रमाण पत्र

आज 2020 में महिला समाज को महिला  
क्रीडा से संबंधित कौशल को बढ़ावा देने का  
गर्हें हुए।  
कम. महाविद्यालय परिसर आज 2020 में

महिला क्रीडा से जुक्त है।

1. सुश्री - सिकर आर - अर्जोन्क *[Signature]*
2. श्रीमती - श्यामला देवी - *[Signature]*
3. " " - गोविंदी साहि - *[Signature]*
4. " " - वी. आरि - *[Signature]*
5. " " - अशोक मिश्र - *[Signature]*



*[Signature]*

**प्राचार्य**  
शासकीय महाविद्यालय भाजपुरी  
बिला-बरत (B.N.O.)

# माहिला सशक्तिकरण

Date: \_\_\_\_\_  
Page: \_\_\_\_\_

बैठक संबंधी सूचना

आज दिनांक 03/08/20 को समय 3.15 PM को महिला विद्यालय के सभाकक्ष में माहिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य दावें हाथ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 आर.ए.ए. लिवारी
- 2 नाजरेवारी झाड़ि
- 3 र्.ए.ए.ए. दास
- 4 प्रियंका मिश्रा
- 5 आशीष - मिश्रा
- 6 आशीष कुंवर
- 7 र्.ए.ए.ए. - झाड़ि

-  
आशुतोष

शुभ

आशुतोष

राजकीय महाविद्यालय धानपुरी  
बिला - बक्सर (Bogota)

किशोरा

आशुतोष

आशुतोष

आशुतोष



## बैठक के कार्यवृत्त

1. सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकोष्ठ में छात्रा को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए छात्रा प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जावे। जिसके लिए निम्न लिखित छात्राओं को मनोनीत किया गया

1) श्रीवल यादव (M.Sc I Sem Chemistry)

2) अश्विनी (B.Sc III year)

3) सुनील (B.A III year)

4) शान्ती पाठ (B.A II year)

2. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ अपने अन्य कर्तव्यों के साथ-साथ महिला यौन उत्पीड़न निरोधक समिति के रूप में भी कार्य श्रेणी।

3. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ ने गंभीर विचार विमर्श कर अपने निम्न लिखित उद्देश्यों को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया।

उद्देश्य -

1. समानता, गैर भेदभाव और लैंगिक संवेदनशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उचित वातावरण बनाने का दिशा में कार्य करना।

2. महाविद्यालय परिसर को अशिक्षित / कर्मचारी विद्यार्थियों आगंतुकों एवं आवासियों के लिए सुरक्षित सम्मानजनक, गरिमामय एवं यौन उत्पीड़न मुक्त बनाना।

3. महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्य एवं अध्ययन

का वातावरण स्थापित करने के लिए उपायों का संवर्धन एवं सुविधाजनक बनाना।

4. महाविद्यालय परिसर में महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और क्रियात्मक निवारण।

5. नियमों और विनियमों को लैंगिक रूप में व्यापक बनाने के लिए सिफारिशें करना।

6. महाविद्यालय की यौन उत्पीड़न निरोधक नीति का विशेषकर विवरणों, कार्यक्रम, दिशा निर्देश अथवा अन्य उचित दस्तावेजों के माध्यम से व्यापक प्रकार-प्रसार करना और उन्हें सूचना पत्रों, वेबसाइट, कार्यालय और आवासीय क्षेत्रों में प्रदर्शित करना।

7. कार्यवाही, रंगोछियों, गैरसही, फिल्मों मंचीय कार्यक्रम बाध विवाद निबंध प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं यौन उत्पीड़न निरोधक उपायों के संबन्ध जागरूकता परामर्श एवं शिक्षित करने का निरन्तर प्रयास करना।

इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विजोषक गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

8. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ महाविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मुलभूत सिद्धान्तों के गंभीर उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान ले सकती है और जैसा उचित लगे उस तरीके से प्रकोष्ठ उसके अधिकार कार्यवाही कर सकती है।





समिति द्वारा दिए गए सुझाव -

1. कक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए छात्राओं को प्रत्येक विषय क्षेत्र में प्रोत्साहित करना।

2. प्रत्येक परष्पाइ महिला प्रोजेक्ट द्वारा बैठक आयोजित कर छात्राओं को हेम वाली महाविद्यालयीन पर्यानी मूनाकर उनका उचित हल करना तथा उचित परामर्श देना।



प्रतिपाठक  
शासकीय महाविद्यालय भागपुरी  
जिला - बस्तर (उ.प्र.)

*Signature*

प्रभागा कक्षा

सत्र 2024 में महिला उन्नीजन संश्लेषण  
मासिक समिति के अध्यक्षता का काम - प्राप्त  
गर्हण सुई।

कम: परिचय संफल: महिला उन्नीजन सुत्रय

ही

प्रतिपाठक  
शासकीय महाविद्यालय भागपुरी  
जिला - बस्तर (उ.प्र.)

*Signature*

- 1. सुनी श्रीकृत आद - श्री
- 2. श्रीमती - श्रीकृष्णा लिवानी - आचार्य
- 3. " " मांजवटी श्रीमती -
- 4. " " श्रीमती श्रीमती - श्री
- 5. " " श्रीमती श्रीमती - श्री














माहिती सहाय्यताकरण पर व्याख्यान  
रचना का आयोजन

आज दिनांक 23/11/23 को समय 2.30pm बजे महाविद्यालय के  
क्षमाकृत में माहिती सहाय्यताकरण के प्रकीर्ण में सभा का  
आयोजन किया गया।

निम्न विषयों पर वक्ताओं के द्वारा व्याख्यान दिये गये -

- # महिला उन्पीडन के प्रकार एवं समस्या की जानकारी।
- # महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार।
- # बिरलू हिंसा।


वक्ता

1. शुभा प्रियंका मिश्रा (रसायन शास्त्र) 
2. शुभा धाकड़ा विगारी (वनस्पति विज्ञान) 
3. शुभा - चंद्रका दास (राजनीतिक) 
4. गीमती नरिहरवी साहू (अंग्रेजी) 
5. शंतीष कुमार साहू (भौतिकी शास्त्र) 
6. आशीष गुप्ता (समाजशास्त्र) 
7. वर्ष साहू (प्राणीशास्त्र) 
8. आशीष मिश्रा (जाति) 
9. सुधीर कुमार नागर (प्रयोगशास्त्र लघुनायक) 

छात्र / छात्राएं

1. कविता यादव Kyadar
2. उजा बेगी नीताम Umjadkar
3. गान्धी मण्डसरी जेजलु
4. जशोदा मोय Yashodha
5. विनोद Upmal
6. हिमेश साहव Hirshadv






शासकीय महाविद्यालय भागपुरी  
मिना-बस्तर (30101)



S.No.	Name of Participants	Signature
1.	VASU SETHIYA	Vasu
2.	Vasudev Kashyap	Vasudev
3.	Vimla Mowrya	Vimla
4.	Yashoda Baghel	Yashoda
5.	Yashwant	Yashwant
6.	Yashwardhan Jenu	Yashwardhan
7.	Tulsi Das	Tulsi
8.	Tulsi Chouhan	Tulsi
9.	Tikeshwar Baidh	Tikeshwar
10.	Taran Kumar Baghel	Taran
11.	Tanu Baghel	Tanu
12.	Taneshwar Yadav	Taneshwar
13.	Taleshwar Patel	Taleshwar
14.	SULCHAND	Sulchand
15.	Sunaina Shrivastava	Sunaina
16.	Sundar Lal	Sundar Lal
17.	सुनीता बघेल	सुनीता
(18)	Suresh Kumar Kashyap	Suresh
(19)	Suresh Kumar Baghel	Suresh
(20)	Sureta Kashyap	Sureta
(21)	Sonam Tiwari	Sonam
(22)	Somesh Ram	Somesh
23.	Seema Rasak	Seema
24.	Rohit Kumar Kashyap	Rohit
25.	Ritesh Yadav	Ritesh Yadav
26.	Punita Panigrahi	Punita Panigrahi
27.	Ramesh Mandavi	Ramesh
28.	Rekha Baghel	Rekha
29.	Rimki Mawrya	Rimki
30.	Sampati Baghel	Sampati
31.	Savita Kashyap	Savita
32.	Saurabh Dewangan	Saurabh
33.	Satyamrajendra Prasad	Satyam
34.	Sangita Dewangan	Sangita
35.	Sangeeta Nag	Sangeeta
(36)	Yuvraaj Kashyap	Yuvraaj



  
 प्राचार्य  
 शासकीय महाविद्यालय धामपुरी  
 जिला-बलर (छत्ता)



महिला सशक्तिकरण सर्वेधी बैठक

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_


आज दिनांक 12/04/22 को महिला सशक्तिकरण सर्वे महिला उत्पीड़न के संबंध में महाविद्यालय के अंतर्गत इस बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में महिला प्रबोध-समिति के सदस्यों के अलावा महाविद्यालय के अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए-

बैठक में उपस्थित सदस्य कागार एवं कर्मचारी कागार -

1. श्रीमती नागेश्वरी साहू -
2. सुश्री रंजिका दास - संचालक
3. श्रीमती आर्काशा तिवारी -
4. सुश्री प्रियंका मिश्रा -
5. सुश्री वर्षा साहू -
6. श्रीमती बुधवती माईउ -
7. श्री. अश्विनी कुपला -
8. श्रीसलोष साहू -
9. प्रो. डी.के. रंभा -
10. प्रो. पी.के. खटे -
11. सुनील कुमार नागा -
12. लक्ष्मण सोनवानी -

*(Handwritten signatures and initials corresponding to the list items)*



*(Official signature)*  
शासकीय महाविद्यालय भा...  
जिला-बस्तर (Chongel)







समिति द्वारा दिये गये सुझाव :-

- 1) गवर्नर जनरल से सलाह ली जाय।
- 2) टॉयलेट में साफ़ साफ़ करव घानी की उत्पन्न  
उत्पत्तियां किया जाना चाहिए।
- 3) महिला छात्राओं को उत्तराखण्ड के कुछ करव महिला कॉलेज  
अथवा महिला जमाती सुट्टियां कराया जाना चाहिए।
- 4) रोजाना करव सफाई करव छात्रांगन करव सफाई करव  
कठिनाई महिलाओं की आजीवन की सुविधाकरण है।
- 5) बुनियादी सुविधाएं करव बुनियादी सुविधाएं सुविधाएं  
छात्रांगन सुविधाओं के लिए जाना चाहिए।



1.1.2017  
आरक्षक महाविद्यालय भांगपुर  
पिन-243401

*(Signature)*

महिला छात्रांगन सुविधाएं - छात्रांगन

प्रशासन द्वारा मांग है कि गवर्नर जनरल  
परिसर में साफ़ सुथरे में महिला छात्रांगन सुविधाएं  
मांगने समिति के माध्यम से सुविधाएं ली जाय।  
एवं महाविद्यालय परिसर सुविधाएं मांग  
उत्पत्तियों में महिला छात्रांगन से सुविधा है।

सहायक प्राचार्य

1. श्रीमती आकांक्षार सिवादी - छात्रांगन
2. " " गोखली साई
3. " " अर्पिता साई
4. " " सुविधाएं सुविधाएं
5. " " सुविधाएं सुविधाएं

*(Signature)*  
किसी



1.1.2017  
आरक्षक महाविद्यालय भांगपुर  
पिन-243401

*(Signature)*